

परम अहमद

(नियम 20)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

संतोषकुमार बनाम धना (संगीत)

क्रिस मुकदमा नं० 111-12७ प्रा.पत्र 117 2021

क्रिस	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जात	मन्तर व तारीख अदालत जो इस हुकम की तारीख से जारी है
-------	----------------------------------	--

8-21 बाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉय प्रस्तुत हुआ दर्ज सजिस्टर डिप्लोमा को सम्मन नोटिस जारी किये जायें । पत्रावली दिनांक 14-9-21 को पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक मजिस्ट्रेट माण्डल

14-9-21 को उपखण्ड अधिकारी राजकीय कार्यालय / पत्रावली से बाहर 30-9-21 को पत्रावली पेश हो।
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

25/10/21

पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग अभियान कैंप भगवानपुरा में पेश हुई, विपक्षीयों के सम्पन्न बाद तामिल हो कर प्राप्त हुए एवं नायब तहसीलदार माण्डल से मीठा रिपोर्ट पेश हुई जिसे शा. पं. किया गया। प्राप्ति का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृष्ठ से लिखा जाकर शा. पं. किया गया, पत्रावली कुंजल शुभार हो कर नावर से कम हो।



डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मुकदमा संख्या :- 117/21 प्र.पत्र

1- श्री सीतल कुमारी श्री मदनलाल देवनियाजी - कार्ड नं. 14 गवान नं. 17/14
वाराणसी आर काठ राउत रंजितजी में प्रस्तावित 6 एकर निचोपरी विस्तार के मांगी - प्रार्थी
चिपटे करेता तब करेता

बनाम
श्री राजा सह श्री कृष्ण बलाई नियाजी बलाई मोहन बासुरेण्ड
भगवानपुर तहसील - मांडल (भीलवाड़ा) विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 25-10-21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर
दिन किया कि ग्राम.....भगवानपुर.....पटवार हल्का.....भगवानपुर.....तहसील मांडल/में उसके
ने /संयुक्त खातों की आराजी नं.....38/20.....कुल किता01
ब्रा.....0-3794.....हेक्टेयर.....स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयण के मध्य आराजी
गधिया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है । जिसमें प्रार्थी अपने खाते
युक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें ।
प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक.....17-8-21.....को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को
नोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का
कारि है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेश
तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है । अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक
न्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेंवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....भगवानपुर
हल्का.....भगवानपुर.....तहसील मांडल में स्थित आराजी नं.....38/20
.....कुल किता01.....रकबा.....0-3794.....हेक्टेयर.....
ने चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है ।
गद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक.....भगवानपुर.....को.....400/-...../-
कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें ।
र फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील
ने आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें । फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे ।

उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला-भीलवाड़ा

2021

उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला-भीलवाड़ा

पे:- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगद्दी की
गलना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें ।